<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 25/2017

1 कुलदीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोविन्द सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर।

2 उप पंजियक धोद।

3 तहसीलदार धोद।

4 श्रीमती छोटी पत्नी छिगनलाल।

5 बलबीर पुत्र लक्ष्मणराम समस्त जाति माली निवासीगण सालमसिंह की ढ़ाणी तहसील व जिला सीकर।

6 श्रीमती टंवरी कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह नाथावत निवासी नाथावतपुरा तहसील व जिला सीकर।

7 श्रीमती अंकिता देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग आर.ए.एस. आवेदन संख्या 330/14 उनवानी कुलदीप सिंह बनाम गोविन्द सिंह आदि दिनांकित 31.01.2017 जिस आवेदन के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को आगे की अवधि के लिए विड्रा किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 03.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 330/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 03 के विरूद्व विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर के यहां वादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 55 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.33 हैक्टेकर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 5.88 हैक्टेयर, खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

नम्बर 58 रकबा 0.91 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 92 रकबा 2.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.94 हैक्टेयर वाके ग्राम बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर के बाबत अपीलांट ने पैतृक कृषि भूमियों के सम्बंध में अपने हक एवं अधिकारों की उद्घोषणा हेतु एक वाद उनवानी कुलदीप सिंह बनाम गोविन्दसिंह आदि तथा इसी उनवान का टी.आई. आवेदन सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर के यहां पेश किया गया, जो बाद में स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन टी.आई. आवेदन में जारी अस्थाई स्थगन आदेश को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा दिनांक 31.01.2017 को आगे की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाकर जारी स्थगन आदेश को विड्रा कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां अपीलांट की पैतृक हक हिस्से की भूमियां है। विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत थी। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया के विधि विरूद्व रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त किया है। अपील स्वीकार कर स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश अन्तरिम आदेश है पक्षकारों के मध्य लम्बित धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अन्तरिम आदेश के विरूद्व किसी प्रकार का आदेश किया जाना उचित नही है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमियां अपीलांट की पैतृक हक हिस्से की भूमियां है। विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत थी। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया के विधि विरूद्व रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त किया है। विचारण न्यायालय का यह आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है क्योंकि दौराने सुनवाई अंतिम निर्णय से पूर्व स्थगन वेकेट किये जाने से पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2011 को धारा 212 के अन्तिम निस्तारण तक यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर